(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

सालगराम पुत्र काशीराम शर्मा निवासी गांगलास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 52/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	–: निर्णय :–	
23.01.2025	1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।	
	2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 17.10.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।	
	3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक 1336 दिनांक 14.01.2025 से प्रत्युत्तर प्रेषित कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी/प्रार्थी को आवेदन की वांछित सूचना क्रमांक 1769 दिनांक 26.12.2024 से प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है जिसकी पावति रसीद प्रार्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर कर दी गई है।	
	4. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा से प्राप्त प्रत्युत्तर अनुसार प्रार्थी को वांछित सूचना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करा दी गई है एवं अपीलार्थी द्वारा भी प्राप्ति रसीद स्वयं के हस्ताक्षर कर दी गइ है।	
	5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	
	6. निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा